

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत 1.) बिक्की कुमार यादव पिता- बिनोद यादव एवं 2.) सोनू कुमार पिता- राजेंद्र यादव ग्राम: सराडू , थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 50, ग्राम: होन्हे, (रैयती भूमि) खाता सं.-19; के अधीन प्लॉट सं.-42, 465, 754, 787, 789 & खाता सं.-61; के अधीन प्लॉट सं.-303, खाता सं.- 1; के अधीन प्लॉट सं.- 358, खाता सं.-11; के अधीन प्लॉट सं.-729, खाता सं.-19; के अधीन प्लॉट सं.-326, खाता सं.-8 के अधीन प्लॉट सं.- 553 & 622, खाता सं.-83; के अधीन प्लॉट सं.- 555; खाता सं.- 62; के अधीन प्लॉट सं.- 704, खाता सं.-1; के अधीन प्लॉट सं.-516, 517, 518; खाता सं.-17; के अधीन प्लॉट सं.-617; खाता सं.-1; के अधीन प्लॉट सं.- 618, 67, खाता सं.-25; के अधीन प्लॉट सं.- 866 & 882 कुल रकबा: - 4.0002 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आमपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर पन्द्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


20/12/21

Asst. Mgr. (CD/L&R)